सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-4/2020/13(9)/1998-का-1-2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक : 17 अप्रैल, 2020**

विषय:- विभागीय जांच के मामलों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के संबंध ।

महोदय,

संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये है, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-16 की व्यवस्था के क्रम में सक्षम स्तर (नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में) से अनुमोदन प्राप्त करते हुए, शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड/शास्तियों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यथावत् सहमत होने के उपरान्त भी दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व पुन: उसी सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संबंधित पत्रावलियां प्रस्तुत की जाती है।

2- उक्त प्रक्रिया अपनायें जाने से ऐसी अनुशासनिक जांच के प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण/निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: उक्त विलम्ब की रोकथाम हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि एक बार नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तावित/विनिश्चित दण्ड के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है तथा उक्त दण्ड प्रस्ताव से आयोग यथावत सहमत होता है, तो ऐसी स्थिति में दण्डादेश निर्गत करने के लिए पुन: सक्षम स्तर (नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा। संबंधित विभाग के विभागीय सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) के अनुमोदन से ही दण्डादेश निर्गत किये जाय।

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 4/2020/13(9)/1998(1)/का-1-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
6. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ।
8. सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ।
9. मीडिया सलाहकार मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा में,

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।